तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओगड़राम प्रजापति पुत्र श्री उरजाराम जी, "यशविला" सर्वोदयनगर रेलवे फाटक के पास फुलाद मार्ग वी/पी सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला–पाली (राज.) 306103 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 49/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/139 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/22	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.06.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/192/2021/1516 दिनांक 22.09.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली/ उपखण्ड अधिकारी सोजत/तहसीलदार सोजत से सम्बन्धित होने से उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक/एफ/कलेक्ट्रेट पाली /1511462619/192/2021/699 दिनांक 20.4.2021 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को, पत्रांक/रा.लो.सू.अ. /(6)(3)/192/2021/700 दिनांक 20.04.2021 के उपखण्ड अधिकारी सोजत व जरिये पत्रांक 1515 दिनांक 22.9.2021 के तहसीलदार सोजत को अन्तरित की गई थी। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली ने जरिये पत्रांक/जिपपा/आर.टी.आई/2021/171 दिनांक 09.07.2021 के अवगत कराया कि वांछित सूचना विकास अधिकारी सोजत को अन्तरित करने पर उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाकर सूचना मय प्राप्ति रसीद प्रेषित की है। अतः अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा तहसीलदार सोजत ने जरिये पत्रांक/राजस्व/2021/4420 दिनांक 15.11.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि वांछित सूचना से संबंधित पत्रावलियां टीम का गठन करवाकर खोजने पर राजस्व रेकर्ड में नहीं मिली है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 1. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली द्वारा अपीलार्थी को वांछित देय सूचना प्रेषित कर दी गई है। तथा अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 की वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी सोजत/तहसीलदार सोजत से संबंधित होने सें लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार सोजत को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए। 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सोजत/तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 5. निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	